

उपनिरीक्षक/प्रधान को उपनिरीक्षक/सहायक के आदेश/आदेश की अपील के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।  
राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री प्रवीण सिंह प्रस्तुत किया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण पु.तु.सि. 8/0 दर्शन सिंह परमाट्ट  
20 सा.प.

निवासी/निवासगण मिर्जापुर राज्य मण्डल  
शाना सराय कोल्हा जिला के और से अधिवक्ता  
उपरिस्थित। अभियुक्त/अभियुक्तगण के अभियुक्तता प्रस्तुत  
नी द्वारा मेमोरान्डम/तकालतनामा प्रस्तुत  
किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नं. 4040410 / 34 अवकाश के अधिनियम के अधिन कायवाहा किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारा नं. 4040410 के अधिनियम के अधिन कायवाहा का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन नं. 600399/81 के दर्ज

किया जावे।

अभियुक्त/अभियुक्तगण नं. 600399/81 के अधिन कायवाहा का आदेश किया जावे।

पु.तु.सि.



तूति: मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 34 अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक्य यथा संभव उसके शब्दों में लेखवत्त किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रस्तुत से तजिल करवाकर दस्तावेजित, दिनांकित, गुदांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवमान तक की अवधि के दण्ड एवं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति रूपये राजसात विज्ञे जायें। संपत्ति 05 अपराध मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा गिरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम अपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

20 कप भुक्ति 40  
ग्राधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
Judicial Magistrate Class,  
Gohad Dist. Bhind (M P)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि

500/- रूपये अदा की जिराकी पावती बुक  
क 6887 रसीद क 78 दी गई।

अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

कारण उपरोक्त निर्देश सजा भुगताई गई।

20 कप भुक्ति 40  
ग्राधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
ग्राधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

SUMMARY TRIAL  
IN  
Case No. 600399/  
Name and address of the

जिस्ट्रेट